समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: आदेश :–

The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 04 अंतर्गत उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर के गोड्डा से पीरपैंती नया बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु अंचल– पथरगामा के अंतर्गत कुल– 25 मौजा/ग्रामों में अधिगृहित कुल रकवा– 170.523 एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य ए0एम0सी0एस0 (एटलस मेनेजमेंट कॉसुल्टेंसी सर्विस), प्राईवेट लिमिटेड, अशोक नगर, राँची के द्वारा करने के उपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित होने के उपरांत The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 07 के आलोक में सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist), पुनर्वास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation), ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ समूह (Expert Group) की गठन का प्रावधान है।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 के धारा– 07 के आलोक में विभागों एवं संस्थाओं से सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist) एवं पुर्नवास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation) एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त सूची से उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर के गोड्डा से पीरपैंती नया बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण हेतु प्राप्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह (Expert Group) के सदस्य के रूप में एक समिति गठित की जाती है।

विशेषज्ञ समूह (Expert Group) निम्नप्रकार है :–

i पंचायत प्रतिनिधि –

1. जिला परिषद सदस्य, गोड्डा–सह–पंचायत प्रतिनिधि, अंचल पथरगामा – अध्यक्ष
2. प्रमुख–सह–पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, अंचल पथरगामा – सदस्य

ii सामाजिक वैज्ञानिक –

3. डा0 सुजित कुमार सोरेन, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, संथाल परगना महाविद्यालय दुमका – सदस्य
4. डा0 संजीव कुमार सिन्हा, एसोसियेट प्रोफेसर, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका – सदस्य

iii पुनर्वास विशेषज्ञ –

5. डा0 तारणी प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका– सदस्य
6. डा0 अजय कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका– सदस्य

iv तकनीकी विशेषज्ञ –

7. श्री प्रमोद कुमार पासवान, वरीय खण्ड अभियंता, पूर्व रेलवे, भागलपुर – सदस्य

विशेषज्ञ समूह के द्वारा दो महीने के अंदर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 के आलोक में मंतव्य सहित समर्पित किया जाएगा।

1. परियोजना लोक प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा करती है अथवा नही के संबंध में।
2. सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक प्रभाव के कुप्रभाव अथवा लाभ के संबंध में।
3. अन्य प्रतिवेदन/मंतव्य जो विशेषज्ञ समूह (Expert Group) आवश्यक समझती है।

विशेषज्ञ समूह दिनांक– 05/02/2018 से 15/02/2018 तक पूर्वाहन 11:00 बजे से 04:00 बजे अपराहन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ट में विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस संबंध में समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार संबंधित अंचल में भ्रमण भी करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 64 /भूअ0 गोड्डा दिनांक : 20/01/2018

प्रतिलिपि :– निदेशक, ए0एम0सी0एस0 (एटलस मेनेजमेंट कॉसुल्टेंसी सर्विस), प्राईवेट लिमिटेड, अशोक नगर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेषज्ञ समूह के सभी अध्यक्ष/सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पथरगामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि विशेषज्ञ समूह को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18

उपायुक्त,
गोड्डा।